**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और निर्धारित की जाती हैं। इसलिए इस मंत्रालय के लिए यह बताना संभव नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों के संबंध में स्कूलों में कोई भ्रष्टाचार विद्यमान है या नहीं।

(ख) और (ग). पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का संबंध राज्य सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात को छोड़ कर बाकी सभी राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों और भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

## गांवों में डाकघर

1726. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में गांवों में डाकघर खोलने के लिये कितनी जनसंख्या की सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में, जहां हाई स्कूल और कालेज हैं, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखकर डाकघर खोलने का है ;

(ग) क्या गांवों के डाकघरों पर व्यय उनकी आय के अनुपात से किया जाता है अथवा यह समान होता है ; और

(घ) गांव के प्रत्येक डाकघर पर औसतन वार्षिक व्यय कितना होता है ?

**संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) डाकघर उन गांवों या दो मील की अरोय दूरी के भीतर आने वाले गांव-समूहों में, जिनकी आबादी 2000 या उससे अधिक हो खोला जाता है, बशर्ते कि मौजूदा डाकघर से उसकी दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 750 रु० से अधिक न हो। डाकघर उन गांव-समूहों में भी खोले जा सकते हैं जिनकी आबादी 2,000 से कम हो बशर्ते कि किसी मौजूदा डाकघर की दूरी तीन मील से कम न हो और घाटा प्रतिवर्ष 500 रु० से अधिक न हो। उन स्थानों के लिए जो सामुदायिक प्रायोजनाओं के मुख्यालय हों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हों या जहां जिला परिषद् या स्थानीय बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल हों या ऐसे स्कूल हों जो राज्य सरकारों से स्वीकृत हों या जिन्हें उनसे सहायता मिलती हो, मौजूदा डाकघर से दूरी की सीमा की शर्त घटाकर 2 मील कर दी जाती है। उन क्षेत्रों में जिन्हें अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया हो, न्यूनतम आबादी की कोई पाबन्दी नहीं है। फिर भी आबादी या दूरी पर विचार किये बिना भी डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी न लौटाये जाने वाला अनुदान देकर उसे चलाने पर होने वाला कुल खर्च वहन करने के लिए तैयार हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। दूसरी शर्तें पूरी होने पर डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि वार्षिक व्यय और आय में इतना अन्तर हो जो उस विशेष मामले पर लागू होने वाले घाटे का अनुमत्य सीमा के भीतर हो।

(घ) लगभग 1,000 रु०

## पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाना

1727. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान

से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पुनर्वास कार्य सरकार द्वारा न किया जा कर अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई संगठन की भारतीय शाखा से करवाया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उनकी रुचि और शिक्षा के अनुसार नहीं दिया जाता बल्कि मनमाने ढंग से काम दिया जाता है जिस कारण उनमें से अधिकांश व्यक्ति उस काम को स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र)** : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का मेरठ जिले में पुनर्वास देने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। इन योजनाओं की सूची तथा प्रत्येक योजना में पुनर्वासित किये जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार की एजेन्सी या पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अमल में लाई जायेंगी। तथापि एक अन्य योजना, पूर्वी पाकिस्तान से आये 50 प्रव्रजक परिवारों को हस्तिनापुर के गंगाखादर क्षेत्र में कृषि पर बसाने के लिये, भारतीय ईसाई परिषद् द्वारा त्रियान्विति की स्थिति में है। वह एक आजमायशी योजना है जिसे भारतीय ईसाई परिषद् ने स्वेच्छा से लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

| क्रम संख्या | योजना | पुनर्वास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | हस्तिनापुर में एक असार्वजनिक कताई मिल के लिये इस शर्त पर आर्थिक सहायता दी जायेगी यदि विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया जाये । | 600 |
| 2 | हस्तिनापुर में कताई मिल में रोजगार पाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना । | |
| 3 | हस्तिनापुर में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सहकारी रूप में 250 बिजली चालित करघे स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता । | 250 |

| क्रम संख्या | योजना | पुनर्वास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 4 | मेरठ के निजी औद्योगिक खण्डों में प्रशिक्षण पाने वाले विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता कि उन्हें अन्त में उन खण्डों में रोजगार मिल सके । | 200 |
| 5 | हस्तिनापुर में एक बहुईंगीरी खण्ड स्थापित करने के लिये एक निजी पार्टी को पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा वित्तीय सहायता । | 200 |
| 6 | कृषि औजार निर्माण करने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा एक खण्ड की स्थापना । | 100 |
| 7 | हस्तिनापुर में उद्योग प्रशिक्षण संस्था | 126 |
| 8 | हस्तिनापुर में सीमेन्ट कंक्रीट से सामान बनाने का खण्ड । | 95 |
| 9 | हस्तिनापुर के गंगाखादर क्षेत्र में मछुओं के कार्य में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना । | 25 |

**हस्तिनापुर का विकास तथा प्रबन्ध**

**1728. श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के हस्तिनापुर के प्रबन्ध तथा विकास के लिये राज्य के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिनिधि काम करते हैं तथा केन्द्र व्यय का कितने प्रतिशत वहन करता है ;

(ख) उक्त स्थान पर पुनर्वास कार्य में कितना समय लगने तथा खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने संसाधनों के अपने भाग नहीं जुटाये हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) हस्तिनापुर नगर विकास बोर्ड में दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। प्रतिवर्ष 10,700 रुपये की अधिकतम सीमा तक, केन्द्रीय सरकार आय में कमी तथा बोर्ड के खर्च को वहन करती है।

(ख) मंजूरशुदा योजनायें या जो योजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण करने की संभावना है और अनुमानतः इन पर 97 लाख रुपये खर्च होंगे।

(ग) जी नहीं।